(4)

क्रम-संख्या–184(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 23 सितम्बर, 2020

आश्विन 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 1038 / ग्यारह-2-20–9(47)-17-उ0प्र0अधि0–1-2017-आदेश(144)-2020

लखनऊ, 23 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0–259

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना सं0 445 / ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0एक्ट-1-2017-आदेश(118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खंड (i) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु जहाँ, किसी प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही पूरा करने या उसका अनुपालन करने के लिए कोई समय–सीमा, जो 20 मार्च, 2020 से 29 नवम्बर, 2020 तक की अवधि के दौरान आती हो, उक्त अधिनियम की धारा 171 में निर्दिष्ट की गयी हो या तद्धीन विहित या अधिसूचित की गयी हो और जहाँ ऐसे समय के भीतर ऐसी कार्यवाही पूरी न की गयी हो या उसका अनुपालन न किया गया हो तो ऐसी कार्यवाही पूरी करने या उसका अनुपालन करने की समय–सीमा 30 नवम्बर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी।"

2–यह अधिसूचना तारीख 01 सितम्बर, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

315 RPH rajaya kar anu-2 GST folder.-2020-DATA-7e

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1038/XI-2-20—9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(144)-2020 dated September 23, 2020.

No. 1038/XI-2-20—9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(144)-2020

Dated Lucknow, September 23, 2020

In exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), *read* with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 13 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. 445/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order-(118)-2020 dated May 11, 2020, namely :-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i), the following proviso shall be *inserted*, namely :-

"Provided that where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority, has been specified in, or prescribed or notified under section 171 of the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of November, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 30th day of November, 2020."

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 1st day of September, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 315 राजपत्र–2020–(764)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 44 सा0 राज्य कर–2020–(765)–3500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
315 RPH rajaya kar anu-2 GST folder.-2020-DATA-7e